न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 09/2021

अपीलांट–	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स –
पूनमाराम पुत्र उदाराम जाति सुथार निवासी निम्बाणियों की ढाणी माडपुरा बरवाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1 आसूराम पुत्र उदाराम 2 भोजाराम पुत्र उदाराम जाति सुथार निवासी निम्बाणियों की ढाणी माडपुरा बरवाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर 3 तहसीलदार बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 661 दिनांक 05.04.2021 जो तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री कैलाश सारण, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री बालाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 3 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 22.10.2021

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 661 दिनांक 05.04.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा निम्बाणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 595/240 रकबा 7.5884 हेक्टेयर के खातेदारान आसूराम, पूनमाराम, भोजाराम पि0 उदाराम ने प्रार्थना-पत्र दिनांक 05.04.2021 को तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व भूमि पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:27:54 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 661 दिनांक 05.04.2021 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.06.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत अपील के विचारण के दौरान अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर मौका कब्जा काश्त अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक 661 दिनांक 05.04.2021 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का विश्वास कर कुछ खाली पेपरों पर हस्ताक्षर / अंगुष्ठ निशान किये जबकि उक्त पेपरों के संलग्न नक्शा में उस समय कोई रंग भरे हुये नहीं थे। अपीलांट द्वारा इस बारे में पूछे जाने पर रेस्पोडेंट संख्या 2 ने बताया कि बाद में पटवारी मौक पर कब्जा काश्त के अनुसार घर, टांकों को बिना प्रभावित करते हुये तथा आवागमन के रास्तों को ध्यान में रखते हुये ही सही रंग भर देंगे। वास्तविक स्थिति यह है कि मौके पर अपीलाधीन आराजी पर बंटवाडे में बताये रंग अनुसार अपीलांट्स काबिज न होकर उससे विपरीत काबिज हैं। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा के इकरारनामा पर पारित आदेश अपास्त योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा सीमाज्ञान करवाने पर उक्त के बारे में सम्पूर्ण जानकारी हुई तब दिनांक 18.06.2021 को आवश्यक [illegible] की बंटवाडे की नकल मांगने पर ही बंटवाडे के गलत होने की [illegible] हुई। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने हलका पटवारी से [illegible]ट कर [illegible]नामा पर हस्ताक्षर के बाद नक्शा में अपनी मनमर्जी से रंग भरवा कर कागजात रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के समक्ष पेश किये तथा आराजी का मौका पर कब्जा–काश्त से हटाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:27:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

बिना मौका रिपोर्ट मंगवाये अपनी सुविधानुसार बंटवाडा करवा दिया है। इस प्रकार से ज्ञान होने की तारीख से अन्दर मयाद पेश है तथा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। इस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर अपीलांट की अपील के तथ्यों की ताईद की गई तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के हिस्सों का विभाजन मौका पर कब्जा–काश्त अनुसार पुनः किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा निम्बाणियों की ढाणी के खसरा नम्बर 595 / 240 रकबा 7.5884 हेक्टेयर के खातेदारान आसूराम, पूनमाराम, भोजाराम पि0 उदाराम ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.04.2021 को तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 661 दिनांक 05.04.2021 पारित किया गया। इस विभाजन इकरारनामा में भूमि के विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नही करवाई गई। इस प्रकार तहसीलदार बायतु द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्य अनुसार उनके कब्जे काश्त की भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के हिस्से में अंकित कर दी है। अपील के विचारण के दौरान अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर मौका कब्जा काश्त अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नही करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विधिविरुद्ध है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:27:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 661 दिनांक 05.04.2021 अपास्त किया जाता है। लिहाजा प्रकरण तहसीलदार बायतु को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

9. निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:27:54 IST
Reason: SelfAttested